राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 1428 दिनांकः 12.03.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 6169–70 दिनांक 26.02.18 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 43 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र भगवतिया जाति कंजर उम्र 36 साल निवासी डेरा कंजरान किशनपुरिया थाना सदर झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2018 को श्री संजय प्रसाद थानाधिकारी वास्ते नाकाबंदी रवाना होकर कपास्या कुआ तिराहे पर नाकाबंदी प्रारम्भ की। इस दौरान जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति कलमंडी की तरफ से रलायता की ओर पीकअप नम्बर आर जे 17 जीए 5002 लेकर आ रहा है, जिसके पास अवैध हथियार है। मुखबिर की सूचना से जाप्ते को अवगत कराकर नाकाबंदी की। इस दौरान पीकअप चालक पुलिस वाहन को देखकर पीकअप को रोककर भागने लगा, जिसको हमराही जाप्ते की मदद से राउण्ड अप कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ज्ञान सिंह पुत्र भगवतिया जाति कंजर उम्र 36 साल निवासी डेरा कंजरान किशनपुरिया थाना सदर झालावाड बताया जिसकी तलाशी लिए जाने पर एक लोडेड अवैध देशी कटटा मिला। जिसके अनुज्ञापत्र बाबत पूछने पर अनुज्ञापत्र होना नही बताया। मौके पर जप्ती कार्यवाही कर वापसी थाने पर प्रकरण सं0 43 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । जब्तशुदा अवैध देशी कटटा व कारतूस का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो उक्त देशी कटटा 12 बोर फायर करने योग्य व फायर आर्म्स की जद मे आना बताया तथा कारतूस जिन्दा अवस्था मे होना तथा ऐम्युनेशन की परिभाषा मे आना बताया गया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल लतीफ सउनि पुलिस थाना सदर झालावाड व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा व कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र भगवतिया जाति कंजर उम्र 36 साल निवासी डेरा कंजरान किशनपुरिया थाना सदर झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड